Virtual विद्यालय

राजस्थान राज्य में कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्रों में विद्यार्थियों के शिक्षा में हुए नुकसान हेतु विभाग द्वारा राजस्थान में शैक्षिक सत्र 2023–24 से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक गैर सरकारी VIRTUAL विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया जाना है। भविष्य में ऐसी विकट परिस्थितियों में भी विद्यार्थियों का शिक्षण निर्बाध गति से करवाया जा सकें, इस हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 में कक्षा–कक्ष अध्ययन (Class room study) के साथ वर्चुअल (ऑनलाईन) स्कूल की अभिधारणा को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत रजिस्टर्ड संस्था यदि चाहे तो विभाग से स्वीकृति लेकर वर्चुअल स्कूल प्रारंभ कर सकती है। यह स्वीकृति विभाग द्वारा पूर्व में संचालित विद्यालयों के साथ सहभागिता करने वाली रजिस्टर्ड संस्था (सोसाइटी) को ही प्रदान की जायेगी।

वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में निम्न दिशा– निर्देश जारी किये जाने प्रस्तावितः–

1. शैक्षिक तकनीक संस्थाओं द्वारा वर्चुअल स्कूल प्रारंभ करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित भौतिक मापदंड जैसे खेल मैदान, भूमि का माप, कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला आदि के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान से उच्च माध्यमिक स्तर/माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से सहभागिता (COLLABORATION) करना अनिवार्य होगा।
2. यह सहभागिता "वर्चुअल इंटिग्रेशन पार्टनर (VIP)" कहलाएगी जिसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल के मान्यता के लिए आवेदन करनी वाली शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-TECH Companies) को आवेदन से पूर्व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था से सहभागिता हेतु एमओयू करना आवश्यक होगा। उदाहरणतः यदि उक्त एज्युकेशन संस्था शैक्षिक सत्र 2023–24 में मान्यता हेतु आवेदन करना चाहती है तो उसे आवेदन की अंतिम तारीख से पूर्व यह सहभागिता करनी होगी।
3. वर्चुअल स्कूल की मान्यता वीआईपी सहभागिता की समयावधि तक मान्य होगी। जिसे न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि हेतु करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-Tech Companies) एक समय में एक से अधिक गैर सरकारी विद्यालयों के साथ वीआईपी सहभागिता कर सकेगी यदि निर्धारित समय अवधि से पूर्व किसी भी गैर सरकारी विद्यालय से किया हुआ एमओयू समाप्त होता है तो इसकी सूचना विभाग को तत्काल प्रेषित करनी होगी।
5. Ed-Tech संस्था करार के समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि एमओयू में वर्णित छात्र संख्या के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध है।
6. वर्चुअल स्कूल में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों जैसे परीक्षा, प्रयोगशाला आदि का आयोजन जिस गैर सरकारी विद्यालय परिसर में होगा उसका विवरण देना होगा।
7. वीआईपी सहभागिता के अधीन होने वाले करार (MOU) में एक शैक्षिक सत्र में अध्ययन कराये जाने वाले अधिकतम अध्ययनरत विद्यार्थियों का अंकन करना अनिवार्य होगा।
8. सहभागिता के लिए होने वाले एमओयू में एक शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. Virtual schools के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन कक्षा 9–10, 11–12 व कक्षा 9 से 12 की मान्यता स्वीकृति हेतु निर्धारित किये जायेंगे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र.स.	मान्यता का प्रकार (एक अथवा दोनो माध्यम)
1	9—10
2	11—12
3	9—12

10. इसके अलावा वर्चुअल स्कूल की मान्यता लेने के लिए एक संस्था के पास well developed online facility होना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट 16)

11. Virtual school की मान्यता प्राप्त करते ही संस्था को बोर्ड से Affiliation प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा एवं साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठयक्रम एवं परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन कार्यक्रम एवं परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। विभाग एवं बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ही संस्था को परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना होगा। प्रत्येक शैक्षिक सत्र पर निर्धारित किये गये टाइम—फ्रेम के अनुसार स्थानीय/जिला समान परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था Ed-tech संस्था से सहभागिता (MOU) करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के विद्यालय परिसर में ही करनी होगी।

12. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा CBSE/CISCE/CAIE से संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित वर्चुअल विद्यालय को विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. प्रायोगिक परीक्षा को आयोजित करने की सम्पूर्ण व्यवस्था virtual school की मान्यता प्राप्त करने वाली Ed-tech संस्था द्वारा अपने स्तर पर ही सहभागी मान्यता प्राप्त विद्यालय में करनी होगी।

14. शैक्षिक तकनीकी संस्था द्वारा स्वयं की प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक कक्षा हेतु तैयार की गई अध्ययन सामग्री (with QR Coded) वर्चअुल स्कूल की मान्यता के आवेदन के समय प्रस्तुत करनी होगी।

15. कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाए बोर्ड के नियम एवं दिशा—निर्देशों के अनुसार ली जावेगीं।

16. वर्चअुल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात Ed-tech संस्था के अधीन वर्चुअल स्कूल संचालित किया जाएगा। उक्त संचालित वर्चुअल स्कूल का सम्पूर्ण प्रबन्धन संबंधित Ed-tech संस्था का रहेगा।

17- Virtual School में कक्षावार प्रत्येक कालांश में अधिकतम 45 विद्यार्थियों को ही शिक्षक द्वारा ऑनलाईन अध्ययन करवाया जाये, इस हेतु ऑनलाईन लिंक केवल 45 विद्यार्थियों के साथ ही Share किया जाये। निर्धारित विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यापन कार्य Live online classes द्वारा होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार Recorded live classes द्वारा रिवीजन करवाया जा सकता है।

18. Virtual Schoos की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास कक्षा स्तर की मान्यता के अनुसार न्यूनतम virtual स्टूडियो होना आवश्यक है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Sr. No.	Class Level	Minimum Virtual Studio
1	9-10	2
2	11-12	2
3	9-12	4

19. Virtual School में विद्यार्थियों के प्रति दिवस अध्ययन का समय 6 घंटे एवं कालांश 08 तथा शिक्षकों के अध्यापन का समय साप्ताहिक 45 घंटे अर्थात सामान्य विद्यालय के लिए निर्धारित साप्ताहिक कालांश (शिक्षको एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए) के अनुसार तय होगा।

20. Virtual School की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Virtual स्टूडियो होना आवश्यक है।

21. Virtual School की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जावे।

कक्षा स्तर	वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु	
	एक माध्यम	दोनों माध्यम
9—10	100000	150000
11—12	120000	175000
9—12	150000	225000

22. वर्चुअल स्कूल द्वारा विद्यालय संचालन हेतु राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 विभाग द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की पालना की जावेगी।

23. शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न योग्यता/शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा :

23.1 वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने वाली प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था को राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

23.2 शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा विगत तीन शैक्षिक सत्रों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाने के लिए विभाग के दिशा—निर्देशों के अनुसार अनुभव होना आवश्यक होगा।

23.2 शैक्षिक तकनीकी संस्था द्वारा वर्चुअल विद्यालय के संचालन हेतु न्यूनतम 15 सदस्य प्रबंध समिति का गठन करना होगा। गठित प्रबंध समिति द्वारा ही वर्चुअल स्कूल की समस्त शैक्षिक व गैर शैक्षिक गतिविधियों को संचालन किया जाएगा।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

परिशिष्ट XVI

Virtual School की मान्यता देने संबंधी न्यूनतम भौतिक मानदण्ड एवं शर्ते

क्र.सं.	मानदण्ड एवं शर्ते
A	संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Well Developed Hi-tech Digital Classroom Studio होना अनिवार्य है।
B	विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु E-library की व्यवस्था हो जिसमें पाठयक्रम सामग्री के अलावा अन्य शिक्षोपयोगी सामग्री का समावेश हो।
C	Online अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए अपने विषय के साथ–साथ कम्प्यूटर का बेसिक नॉलेज आवश्यक होगा।
D	ऑनलाईन अध्ययन हेतु High Quality एवं Frequency की Network सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए।
E	संस्था के पास स्वयं की Well Developed Website/ Mobile App होना अनिवार्य होगा। जिसके माध्यम से विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के डाटाबेस एवं स्टडी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को लॉगईन आइडी दिया जायेगा जिसके माध्यम से रूटिन टेस्ट एवं हॉमवर्क चेक किया जावे।
F	उक्त बिन्दुओं के साथ–साथ संस्था को विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से भौतिक मापदण्ड साझा करने हेतु सहभागिता करनी अनिवार्य होगी।

24. वर्चुअल विद्यालय के संचालन की मान्यता के लिए पब्लिक डोमेन में **प्रतिपुष्टि (Feedback)** हेतु ईमेल आईडी **ad.psp.dse@rajasthan.gov.in** पर दिनांक 30.11.2022 तक प्रेषित करें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते